निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..... दिनांक,.....

5(स0) अपील (शिव शक्ति टाइल्स) 27/2014

प्रेषक,

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री शिव शक्ति टाईल्स उद्योग,
एवं शिव शक्ति आईस उद्योग,
ग्राम–मुरहाघाट, पो0–माधोपुर मलिनिया,
जिला–सीतामढ़ी।

विषयः– **दायर अपीलवाद सं0– 27/2014 ~~की सुनवाई~~ के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री शिव शक्ति टाईल्स, उद्योग बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2820 दिनांक 03.07.18

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–

अवर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
3/7/18

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 27/2014

सर्वश्री शिवशक्ति टाईल्स, औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

23.05.2018

21/6/2018

प्रश्नगत अपील सर्वश्री शिवशक्ति टाईल्स, औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढी द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 236 दिनांक 08.02.2014 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थापित है। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढ़ी में पत्रांक 260 दिनांक 29.01.2008 द्वारा प्लॉट सं0– डी0–(56) पार्ट का 2700 वर्गफीट भूमि रुफिंग टाईल्स उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। उनका कहना है कि उनकी पत्नी की बिमारी के कारण उद्योग लगाने में कुछ विलम्ब हो गया। जब उद्योग लगाने की तैयारी प्रारम्भ की गई तब–तक बियाडा द्वारा बिना कोई नोटिस दिये आवंटित भूमि को रद्द कर दिया गया है।अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 236 दिनांक 08.02.2014 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सर्वश्री शिवशक्ति टाईल्स, औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढी में पत्रांक 260 दिनांक 29.01.2008 द्वारा प्लॉट सं0– डी0–(56) पार्ट का 2700 वर्गफीट भूमि रुफिंग टाईल्स उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। पत्रांक 1896 दिनांक 24.03.09, पत्रांक 2856 दिनांक 13.11.09, पत्रांक 389 दिनांक 17.03.10, पत्रांक 505 दिनांक 07.04.10, पत्रांक 959 दिनांक 26.08.10, पत्रांक 1158 दिनांक 28.07.10, पत्रांक 1436 दिनांक 19.07.11, पत्रांक 1353 दिनांक 02.08.12 एवं पत्रांक 407 दिनांक 21.03.13 द्वारा इकाई के विरुद्ध बकाया राशि भुगतान करने एवं उद्योग स्थापना हेतु नोटिस निर्गत किया गया। पत्रांक 1032 दिनांक 17.05.13, पत्रांक 1439 दिनांक 26.06.13, पत्रांक 2109 दिनांक 23.09.13, पत्रांक 2310 दिनांक 22.10.13 द्वारा अंतिम कारण बताओं नोअिस एवं प्राधिकार द्वारा लागू एक्जिट पॉलिसी की जानकारी के साथ बकाया राशि मो0– 61757 रु0 भुगतान करने को कहा गया। .औद्योगिक क्षेत्र सीमामढ़ी के निरीक्षण के क्रम में इकाई में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने एवं आंवटित भूमि खाली होने की सूचना है। अंत में आदेश ज्ञापांक 236 दिनांक 08.02.2014 द्वारा आवंटित भू–खंड को रद्द कर दिया गया।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है 'बियाडा' द्वारा सर्वश्री शिवशक्ति टाईल्स, औद्योगिक क्षेत्र, सीतामढी में पत्रांक 260 दिनांक 29.01.2008 द्वारा प्लॉट सं0– डी0–(56) पार्ट का 2700 वर्गफीट भूमि रुफिंग टाईल्स उद्योग की स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा भूमि आवंटन के लम्बी अवधि के बाद भी उद्योग स्थापना एवं बकाया राशि के भुगतान के लिए कोई

Osd leater 1

ठोस एवं सार्थक प्रयास नहीं किया गया है, जबकि बियाडा द्वारा उद्योग स्थापना हेतु समय–समय पर नोटिस निर्गत किया गया है। लम्बी अवधि बीत जाने के उपरान्त भी निबंधित उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ नहीं किया जाना भूमि आवंटन आदेश में निहित शर्तों का उल्लंघन है। अपीलकर्ता की अन्य अभिव्यक्ति व्यक्तिगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता भूमि पर अन्य उद्देश्य के लिए मात्र कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। साक्ष्यों के आलोक में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का कार्यकारी निदेशक द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 236 दिनांक 08.02.2014अनुकूल है।

तद्नुसार प्रश्नगत अपीलीय आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

21/6/2016

(डॉ0 एस0 सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

21/6/2016

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

Osd leater 1